



प्रेषक,

रविनाथ रमन,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,  
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 16 जून, 2017

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-11762A, दिनांक 31-05-2012, शासन की पत्रावली संख्या-83/13 (1264/XLI-1/13) एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-18535, दिनांक 11-09-2013, शासन की पत्रावली संख्या-83/15 (622/XLI-1/15) एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-21922, दिनांक 29-09-2014, विश्वविद्यालय के पत्रांक-24676, दिनांक 08-09-2015 द्वारा की गयी संस्तुति व तदोपरान्त मानक पूर्ण होने विषयक विश्वविद्यालय से प्राप्त आख्याओं/संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-5 की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ-2 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
बलवंत सिंह मुखिया (बी०एस०एम०) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ग्राम-नगला इमरती, रुड़की-लक्सर रोड़, रुड़की जनपद-हरिद्वार	बी०टैक०		शैक्षिक सत्र 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 हेतु
	1. Civil Engineering	60	
	2. Computer Science & Engg.	60	
	3. Electrical Engineering	60	
	4. Mechanical Engg.	60	

- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- संस्थान द्वारा नियुक्त फ़ैकल्टी स्टाँफ़ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियाँ परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2/-

